न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 737

दिनांक 29/03/2024

अनवान :—

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
केशा वगैरा	बनाम	लाखा वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 82/2023

दिनांक : 27.03.2024

आदेश

तहसीलदार **चौहटन** को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील **चौहटन**, पटवार क्षेत्र **जैसार** के मौजा **जैसार** में खसरा सं. 17 रकबा 16.1065 हैक्टयर एवं खसरा सं. 196 रकबा 06.5721 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2024/ 738 to 74

दिनांक 29/03/2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण केशा वगैरा
3. विप्रार्थीगण लाखा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराज/मैमन्ना/धनाऊ

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:43:31 IST
Reason: SelfAttested

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन